


16-12-2024

फावली पेशा हुई। प्राप्ति के वकील उपस्थित।
 प्राप्ति नूर खां उपस्थित। अध्यापक सं. 1 (एड) के वकील उपस्थित। प्राप्ति नूर खां को लोक
 अदालत की भावना से प्रकरण के निस्तारण की
 समझाईश की गई। इस निवारणी प्रकरण को
 लोक अदालत की भावना से प्राप्ति द्वारा आगे
 चलाना नहीं चाहने से Not Press किया
 गया है। अतः यह निवारणी प्रकरण राजी-
 नामा के आधार पर निस्तारण हेतु राजी-
 लोक अदालत में दिनांक 22-12-2024 को
 पेशा है।




अति. जिला कलेक्टर
 सिराही (राज.)

इस निवारणी
 प्रकरण को लोक
 अदालत की
 भावना से प्राप्ति
 आगे नहीं चलाना
 चाहता है। अतः
 प्रकरण को Not
 Press करा है।

 L.T. उदर

पहचानकर्ता


 16/12/24

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख जो इस हुक्म की कोर्ट में जारी हुए
	<p style="text-align: center;">राष्ट्रीय लोक अदालत</p> <p>(बैच संख्या: 2)</p> <p>समक्ष:- श्री सुरेन्द्र सिंह सांदू, अध्यक्ष, लोक अदालत डॉ. दिनेश राय सापेला, सदस्य, लोक अदालत, राजस्व मामलात श्री बलवन्त कुमार मेघवाल, सदस्य अधिवक्ता, लोक अदालत।</p> <p>पंचायत निगरानी संख्या:- 04/2024 अनवान :- नूर खां बनाम मकबूल खान व अन्य</p> <p>उपस्थिति:- प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री संजय दहिया अप्रार्थी मकबूल खान की ओर से अधिवक्ता श्री पी.एल. दवे</p> <p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p style="text-align: right;">दिनांक: 22.12.2024</p> <p>पत्रावली लोक अदालत बैच संख्या 02 के समक्ष पेश हुई। इस निगरानी प्रकरण में लोक अदालत की भावना से पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण प्रार्थी इस निगरानी प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता है, इसलिये प्रार्थी द्वारा इस निगरानी आवेदन को दिनांक 16.12.2024 को Not Press किया गया है। अतः प्रकरण को फैसल करने के लिये नियमित न्यायालय के समक्ष पत्रावली दिनांक 23.12.2024 को पेश हो।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  अध्यक्ष लोक अदालत </div> <div style="text-align: center;">  सदस्य लोक अदालत राजस्व मामलात </div> <div style="text-align: center;">  सदस्य लोक अदालत </div> </div> <p>23-12-2024 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी मकबूल खान के अधिवक्ता उपस्थित। इस निगरानी प्रकरण में लोक अदालत की भावना से पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण प्रार्थी ने इस निगरानी प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहने से Not Press किया है। अतः प्रार्थी का यह निगरानी आवेदन जरिये Not Press खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">अति. मिला कलेक्टर, सिरोही</p>	